प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
   उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–21फ/सं0रो0/ए0ई0एस0/जे0ई0/डी0सी0एच0–2018/ 5914-15 दिनांक– 01/12/2017

विषयः शासन की ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग नियंत्रण/रणनीति के अन्तर्गत बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गारेखपुर में डिप्लोमा–इन–चाइल्ड हेल्थ (डी0सी0एच0) दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पी0एम0एच0एस0 सवंर्ग के चिकित्साधिकारियों को वर्ष 2018 सत्र हेतु नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि ए0ई0एस0/जे0ई0 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन की रणनीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 02 वर्षीय डिप्लोमा–इन–चाइल्ड हेल्थ पाठ्यक्रम हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को नामित किया जाता है। विगत वर्षो की भांति वर्ष 2018 सत्र हेतु भी पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के 20 चिकित्साधिकारियों को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गारेखपुर में 02 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किया जाना है।

उक्त प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मानक सम्बन्धी शासन के पत्र संख्या–71/2716/ पॉच–8–2016–म(178)/2012, दिनांक–07.10.2016 की प्रति इच्छुक चिकित्साधिकारियों के आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि जनपद में आपके अधीन चिकित्साधिकारियों को उक्त सूचना से अवगत कराते हुये इच्छुक चिकित्साधिकारियों के आवेदन पत्रों में अंकित की गयी सूचनों एवं घोषणाओं का परीक्षण कर आवेदित चिकित्साधिकारियों की विगत 03 वर्ष यथा वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की सत्यापित गोपनीय प्रविष्टि मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुये अपनी संस्तुति सहित विलम्बत्म दिनांक–31.12.2017 तक निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, ए0ई0एस0/जे0ई0, संचारी रोग, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को पंजीकृत डाक/स्पीक पोस्ट द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह भी कहना है कि दिनांक–31.12.2017 के उपरान्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक

पृ0सं0–21फ/सं0रो0/ए0ई0एस0/जे0ई0/डी0सी0एच0–2018/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा आवेदित चिकित्साधिकारियों की चाही गयी वॉछित वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियों को सत्यापित कर ससमय उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप को चिकित्सा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
ए0ई0एस0/जे0ई0, उ0प्र0।

, वर्ष 2018 सत्र हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में द्विवर्षीय डी0सी0एच0(डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ) हेतु आवेदन प्रपत्र

1. चिकित्साधिकारी का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्म तिथि.....
4. वरिष्ठता क्रमाक.....
5. प्रथम नियुक्ति के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि.....
6. वर्तमान तैनाती स्थान का नाम.....
7. आवेदनकर्ता का ई0मेल आई0डी0..... .....मो0नम्बर.....
8. आरक्षण श्रेणी (जो लागू हो उसमें टिक करें)
   अनुसूचित जाति..... अनुसूचितजनजाति..... अन्य पिछड़ा वर्ग..... सामान्य.....
9. अभ्यर्थियो की 03 वर्ष की निरन्तर ग्रामीण सेवा अवधि का विवरण कब से कब तक.....
   .....
10. वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की गोपनीय प्रविष्टियों की प्रति जो अपर निदेशक द्वारा सत्यापित हो संलग्न है अथवा नहीं.....
11. क्या विगत वर्ष/वर्षो में विभागीय पी0जी0 डिप्लोमा में अध्ययन हेतु चयन किया गया था एवं प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया गया था, यदि हॉ तो कब तक.....
12. आवेदित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर कर संलग्न करना होगा किः–

    क– आवदेनकर्ता डी0सी0एच0 प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त 05 वर्ष की अवधि तक ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में अपनी सेवायें प्रदान करेगा।

    ख– वह प्रशिक्षणोपरान्त 05 वर्ष की अवधि के भीतर यदि चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण किन्ही कारणों से ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों के अतिरिक्त किसी अन्य जनपदों में हो जाता है तो सम्बन्धित चिकित्साधिकारी अपने नियंत्रण अधिकारी को 05 वर्ष तक की अवधि पूर्ण होने तक ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में सेवा देने के शपथ–पत्र के विषय में अगवत करायेगा। ऐसा न करने की दशा में उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी अथवा यदि डिप्लोमा कोर्स करने के उपरान्त शासकीय सेवा छोड देता है तो उपरोक्त वर्णित दोनो ही दशा में प्रेशिक्षण कार्य में देय वेतन के बराबर धनराशि विभाग को प्रतिपूर्ति करना पड़ेगी।

–घोषणा–

1. मै प्रमाणित करता हूॅ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाये/विवरण एवं उसके संलग्नक मेरे निजी ज्ञान में सत्य है। इसमें किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गयी सूचना/अभिलेख त्रुटि पूर्ण पाये जाते है अथवा मैं शासन द्वारा निर्धारित किसी शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण नहीं करता हूॅ तो मेरे आवेदन का निरस्त करते हुये विभाग स्वतंत्र होगा तथा मैं इस हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करूंगा।
2. मैं प्रशिक्षण के उपरान्त लगातार पॉच वष्र तक ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों में तैनाती हेतु सहमति व्यक्त करता हूॅ तथा ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों को उपचार प्रदान करने में सहयोग प्रदान करूंगा।

आवेदनकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि डा0..... द्वारा उपरोक्त प्रपत्र में दिये गये सभी तथ्यों का मेरे द्वारा भलीभांती अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है। डा0..... दिनांक– से निरन्तर शासकीय सेवा में सेवारत है। इनकी सेवायें अभिलेखीय आधार पर संतोषजनक रही है तथा अभिलेखों के आधार पर इनके विरूद्ध ऐसे कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं है, जिसके कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में कोई बाधा हो।

नियंत्रण अधिकारी,
(मुख्य चिकित्साअधिकारी/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)
के हस्ताक्षर नाम व पदनाम वाली मोहर सहित